

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-11(नि०)/वि०-33/2026.....822

पटना, दिनांक 28-7-26

विभागीय अधिसूचना संख्या-656 दिनांक-25.06.2026 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026 अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या-797 दिनांक-21.07.2026 के द्वारा सभी शिक्षकों के स्थानान्तरण के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका-02 में परिवीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं का उल्लेख है।

1. बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026 के नियम-11 में निहित संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-797 दिनांक-21.07.2026 की कंडिका-02 में वर्णित परिवीक्षा अवधि को स्थानान्तरण हेतु प्रथम संव्यवहार में शिथिल किया जाता है।

2. शेष कंडिका यथावत रहेंगी।

3. सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

पटना, दिनांक 28-7-26

ज्ञापांक: 11(नि०)/वि०-33/2026.....822

प्रतिलिपि:- सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सचिव, शिक्षा के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



Rahul.



उप सचिव, शिक्षा विभाग।

